Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) April to June 2017, Vol. I, Issue XVIII

लालबत्ती के प्रयोग पर रोक – लोकतंत्र, समानता एवं संविधान के अनुरूप

विनोद कुमार साहू*

शोध सारांश – स्वतंत्रता के पश्चात् भारत 26 जनवरी 1950 को लोकतांत्रिक राज्य बना। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे नये संविधान की प्रमुख विशेषता रही है कि विशेषाधिकारों को समाप्त कर देश के समस्त नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता का अधिकार प्रदान करना है, किन्तु स्वातंत्रोत्तर भारत में शैन: शैन: जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का लालबत्ती गाड़ियों के प्रयोग के द्वारा विशेषाधिकार का प्रयोग करने वाले समूह या वर्ग का जन्म हुआ। जिसके परिणाम स्वरूप देश में नागरिक साधारण और विशेष में बंट गए। 01 मई 2017 भारतीय लोकतंत्र का ऐतिहासिक दिन है, जब मोदी सरकार ने विशिष्टता के प्रतीक लालबत्ती के प्रयोग पर रोक लगा दी है। अब संविधान प्रदत्त समानता को सिद्धांत एवं व्यवहार रूप से सभी नागरिक महसूस कर रहे है।

प्रस्तावना – 01 मई 2017 से मोदी सरकार द्वारा अप्रैल में केबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुरूप वी.वी.आई.पी. संस्कृति को पोषित करने वाले और विशिष्ट दिखने के प्रतीक गाड़ियों मे लालबत्ती के प्रयोग पर पूरे देश में रोक लगा दी। वाहन एक्ट के नियम 108 (1),(2) और तीन के तहत् केन्द्र एवं राज्य सरकारों के वी. आई. पी. को लालबत्ती लगाने का हक मिला हुआ है, किन्तु अब इन नियमों में आवश्यक संशोधन कर देशभर में लालबत्ती के प्रयोग पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। इसके तहत् अब संवैधानिक पदों– राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, न्यायाधीशों केन्द्र एवं राज्य सरकार के मंत्रियों, निगम मंडलों, आयोग के अध्यक्षों, सहित केन्द्र राज्य सरकार के अधिकारियों के वाहनों से लालबत्ती हटा लिए गए है।

स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान द्वारा भारत एक प्रजातंत्रात्मक राज्य बना तथा संविधान द्वारा देश के सभी नागरिकों को समान मानते हुए प्रस्तावना, मौलिक अधिकार एवं राज्य नीति के निदेशक तत्वों में समानता की विस्तृत व्याख्या की गई है। संविधान द्वारा देश के सभी नागरिक समान है, किन्तु खास या विशिष्ट बनने या दिखने की चाहत सत्ता में बैठे लोगों की देन है, जो स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक इन वर्गो द्वारा इसे पोषित किया जाता रहा है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें नागरिकों को आम और खास में फर्क न करते हुए सभी को समान अधिकार सुविधाएं या अवसर मुहैया कराने पर बल देता है। किन्तु देश की स्वतंत्रता के इतने वर्षो के पश्चात समानता, सिद्धांत और व्यवहार में अलग–अलग परिलक्षित होता रहा है।

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में शासक और प्रशासक वर्ग जनता के सेवक या लोकसेवक कहलाते है। वर्तमान में राज्य पुलिस राज्य न होकर लोक कल्याणकारी राज्य कहलाते है। प्रारंभिक काल में राज्य के द्वारा केवल वे ही कार्य किए जाते थे, जिनका करना राज्य के अस्तित्व के लिए नितान्त आवश्यक होता था, किन्तु वर्तमान समय में राज्य के कार्य नागरिकों को वे सभी सुविधाएं और अवस्थाएं प्रदान करना है, जिनके द्वारा उनकी भलाई और उन्नति हो सके। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। पूर्व में प्रचलित शासन प्रणाली जैसे राजतंत्र, एकतंत्र से अलग इस शासन प्रणाली में ये वर्ग जनता के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते है। इनके द्वारा नीति का निर्माण और उसका क्रियान्वन के केन्द्र बिन्दु जनता होती है। किन्तु यह एक दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि समानता के सिद्धांत पर कार्य करने वाले एवं जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए इस शासन प्रणाली में भी सत्ता के पहुंच एवं भागीदारी निभाने वाले लोगों ने श्रेष्ठवर्ग या अभिजन या विशिष्ट वर्ग उत्पन्न कर लिए है, जिसके परिणाम स्वरूप देश की जनता आम और खास में बंट गई। लालबत्ती इसी मानसिकता का देन है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अनुसार हर एक भारतीय एक वी. आई. पी. है और लालबत्ती की संस्कृति काफी पहले खत्म हो जानी चाहिए। खुशी है कि आज एक ठोस शुरूवात हुई है। उन्होंने वी. आई. पी. के स्थान पर ई. पी. आई. अर्थात् एवरी पर्सन इज इम्पार्टेंट का नारा देकर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. वी.आर. अम्बेडकर के प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक क्षेत्र में समानता, राष्ट्रपिता महात्मागांधी एवं लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय के विचार एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मवाद को साकार करने की दिशा में यह एक ठोस, प्रशंसनीय एवं सकारात्मक प्रयास है।

लालबत्ती के प्रयोग पर रोक की आवष्यकता क्यों –

1. वी.आई.पी. संस्कृति समानता के वृहद सिद्धांत के विरूद्ध है।
2. इससे देश की प्रत्येक नागरिक की गरिमा एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति संभव हो सकेगा।
3. वी.आई.पी. संस्कृति से नागरिक अधिकारों का हनन होता है, तथा भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।
4. देश के प्रत्येक नागरिक का लोकतंत्र और कानून के शासन पर विश्वास बढ़ेगा। सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।
5. यह एक प्रगतिशील और परिपक्व लोकतंत्र का परिचायक है।

विश्व के विभिन्न देशों में वी.आई.पी.

देश	वी. आई. पी. की संख्या
अमेरिका	252
आस्ट्रेलिया	205

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, धरमजयगढ़, जिला – रायगढ़ (छ.ग.) भारत

ब्रिटेन	84
फ्रांस	109
जापान	125
चीन	435
रूस	312
जर्मनी	142
भारत	5 लाख 79 हजार 92

निष्कर्ष – विशिष्टता का प्रतीक लालबत्ती के इस्तेमाल पर पाबंदी प्रगतिशील एवं परिपक्व लोकतंत्र का सकारात्मक कदम है। सभी क्षेत्रों में बदलाव के प्रतीक बनी मोदी सरकार ने संविधान के प्रावधान के अनुरूप इस महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा देश के सभी नागरिकों को समान और बराबरी का संदेश दिए है। लोकतंत्र में विशिष्ट वर्ग नहीं बल्कि सभी व्यक्ति विशिष्ट एवं खास है और प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य और महत्व समान है। यह निर्णय नि:संदेह मोदी सरकार के 'सबका साथ, सबका विकास' के मूल मंत्र पर आधारित है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अनुसार सन् 2022 में हम भारतवासी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण कर हीरक जयंती मनायेंगे। अत: प्रत्येक भारतीय संकल्प ले कि वे अपने–अपने तरीके से देश के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगे। देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें 125 करोड़ भारतवासियों का योगदान अह्म है।

अत: विश्व का विकसित, सिरमौर और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में सभी भारतीय विशिष्ट और खास है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. कश्यप, सुभाष – हमारा संविधान, भारत का संविधान और संवैधानिक विधि।
2. सलिल, अनिल कुमार – भारत का संविधान प्रभात पेपर बैक्स प्रकाशक, नई दिल्ली 2010
3 फड़िया बी.एल. एवं – भारतीय शासन एवं राजनीति साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा जैन पुखराज।
4. पुरोहित बी.आर. – राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धांत उदयपुर राजस्थान
5. संधु, ज्ञान सिंह – हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय।
6. समाचार पत्र –
   - दैनिक भास्कर।
   - हरिभूमि।
   - नई दुनिया।
   - नवभारत।
   - पत्रिका।

****